छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 667/2007

1. **श्री हबीब उल्ला,** - *अपीलार्थी*
ग्राम-सारबहरा, तहसील-पेन्ड्रारोड़,
जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत- गौरेला, तहसील-पेन्ड्रारोड़,
जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 08 मई, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री हबीबउल्ला द्वारा दिनांक 21.09.2006 को सूचना प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गौरेला के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उनके द्वारा समय पर जानकारी नही देने के कारण अपीलार्थी ने दिनांक 28.05.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की, किन्तु निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत नही करने के कारण उक्त अपील ग्राह्य नही की गई और लौटा दी गई, इससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 11.07.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में अंतिम सुनवाई के दिन प्रति अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई । प्रकरण में जानकारी देने में हुये विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गौरेला को पंद्रह हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 31.01.2008 को प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में सर्वप्रथम दिनांक 29.09.2006 को आवेदक से पूछा गया था कि यदि आप गरीबी रेखा के अंतर्गत आते है तो प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करे, ताकि शुल्क का निर्धारण कर सूचित किया जा सके । अपीलार्थी द्वारा जब गरीबी रेखा का उल्लेख ही नही किया गया है तो इस प्रकार का पूछा जाना उचित नही था और स्वत: शुल्क की गणना कर उसकी सूचना अपीलार्थी को दी जाना चाहिए थी, किन्तु वह नही दी गई और उसके बाद दिनांक 10.12.2007

को जानकारी दी गई, जो अपीलार्थी को नही मिलने के कारण बाद में दिनांक 02.02.2008 को यह जानकारी दी गई है । अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों में यह बताया है कि उन्हें पूर्ण जानकारी नही दी गई है और जानकारी के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश जानकारियॉं दी जा चुकी है, केवल ग्राम पंचायत के प्रस्ताव एवं तहसीलदार बंगले के बाऊड्री में नवनिर्मित दुकानों की जानकारी नही दी है । इन दोनों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाना चाहिए थी, किन्तु दी गई जानकारी में उसका उल्लेख नही मिलता है, अतः उपरोक्त स्थिति में पूर्ण जानकारी दिया जाना मान्य नही किया जा सकता, अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि अब शेष जानकारी भी 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान की जावे । चूंकि प्रकरण में काफी विलंब हुआ है और बाद में भी अपूर्ण जानकारी दी गई है, अतः कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर पूर्णतः संतोषप्रद नही माना जा सकता, अतः तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गौरेला पर अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत 3000/- (तीन हजार) रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है और प्रकरण में सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में जिस-जिस मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यकाल में विलंब हुआ है, उन सभी के विरूद्ध अधिनियम की धारा-20(2) के अन्तर्गत विभागीय जांच की कार्यवाही की जावे । साथ ही प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत जनपद पंचायत की ओर से राशि 500/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त